पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

नरणिया

गाँव - नरणिया

पंचायत- रागेला

तहसील- दोवड़ा

जिला- डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

नरणिया गाँव का परिचय

नरणिया गाँव रागेला ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है । नरणिया गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है । नरनिया गाँव की सीमा के उत्तर में फलोज, पूर्व में रागेला, पश्चिम में चितरेटी और दोवड़ा, दक्षिण में बादीघाटी गाँव है ।

राजस्व गाँव नरणिया में 3 फले है -

1. खाखरिया फला
2. कामेला फला
3. यादव बस्ती

नरणिया गाँव में वर्ष 2018 को शिलालेख हुआ है उसी दिन गाँव सभा और शांति समिति का गठन कर दिया गया । गाँव में करीब 400 घर है जिनकी आबादी करीब 2200 है । गाँव के लोग अपने समाज के लोगों के साथ छोटे समूहों में रहते है । गाँव में आने के लिए डूंगरपुर आसपुर रोड़ है जो गाँव को दो भागों में बांटता हुआ आसपुर निकल जाता है । गाँव के फलों में आने जाने के लिये 5 छोटी पक्की सड़के, 9 सी.सी. सड़के और 4 कच्ची सड़के है । गाँव में एस.टी. की परमार जाति के लोग रहते है । अन्य जातियों में यादव, पाटीदार, कलाल, प्रजापत समाज के लोग है । अधिकतर आदिवासी यहाँ से जाकर दूसरे गाँवो में बस गये है । इस कारण यह गाँव आदिवासी बाहुल्य नहीं है । ज्यादातर घर गाँव की मुख्य रोड़ के किनारे के फलों में है । शिलालेख होने के बाद से लगातार गाँव में पेसा कानून को लेकर वागड़ मजदूर किसान संगठन के द्वारा बैठके एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते रहे है । गाँव के ज्यादातर लोगों को राजस्थान सरकार के पेसा कानून के नियमों और अधिकारों की जानकारी है ।

गाँव की कुल जमीन 389 हेक्टेयर है जिसमे कृषियोग्य जमीन, बिलानाम जमीन, चारागाह और जंगल की जमीन शामिल है । गाँव का जंगल, बिलानाम जमीन और पहाड़ वन विभाग और सरकार के कब्जे में है । गाँव की चारागाह की जमीन गाँव के कब्जे में है । गाँव की पश्चिम दिशा की ओर बड़े पहाड़ है जिन पर केवल बबूल की कटीली झाड़ियाँ ही है और पत्थर निकाला जाता है ।

आवागमन की स्थिति

नरणिया गाँव के बीच से होकर डूंगरपुर - आसपुर रोड़ गुजरती है, डूंगरपुर से बस द्वारा नरणिया गाँव पहुँचा जा सकता है । गाँव की अधिकतर जमीन समतल है इसलिए यहाँ सड़क व्यवस्था भी ठीक है । गाँव के भीतर जाने वाली चार पक्की डामरीकृत सड़के है, जो मुख्य सड़क से गाँव के चारों दिशाओं में है । तीन पक्की सड़के क्षतिग्रस्त होकर ख़राब हो गयी है बारिश की वजह से कट गयी है और उनमे गड्डे हो गये है । गाँव में 9 सी.सी. सड़के है जो गाँव के फलों को जोडती है । सभी सी.सी. सड़के दो साल पहले ही तेज़ बारिश की वजह से टूट गयी और उनमे दरारें पड़ गयी है और नालियाँ टूट गयी है । जहाँ सी.सी. सड़कों की पहुँच नहीं बन पायी है वहाँ 4 कच्ची सड़क है । गाँव के मुख्य सड़क पर एक बस स्टैंड है जहाँ से प्राइवेट बस, ऑटो और जीप दूसरे गाँवो में जाने के लिए मिल जाते है । लेकिन गाँव के फलों में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है। खरीदारी के लिए मुख्य बाजार पुनाली 2 किमी और डूंगरपुर 22 किमी दूर है, जहां पर सभी प्रकार की घरेलू खरीदारी के अलावा शादी-ब्याह और त्यौहारों की खरीदारी की जाती है।

शिक्षा व स्वास्थय

गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक माध्यमिक विद्यालय है । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गये है और कमरों की कमी, अध्यापकों की कमी और बैठने के लिए कक्षाओ में दरी-पट्टी नहीं है । अध्यापक की कमी के कारण दो कक्षाओ को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाता है । जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और गुणवत्ता में कमी है । माध्यमिक विद्यालय में भी पूरे अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी है और स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है, खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । तीनों ही विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है । गाँव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है । गाँव के सभी बच्चे स्कूल जाते है । गाँव में 4 आंगनवाड़ी है, जिसमे से एक मिनी आंगनवाड़ी है जो घर में चलाई जा रही है । गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है, जो कामेला फला में है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 2 किमी दूर पुनाली में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बडा हॉस्पीटल 22 किमी दूर डूंगरपुर में है। पालतू जानवरों के इलाज के लिए पशु अस्पताल भी पुनाली गाँव में है। बीमार पशुओ के लिए डॉक्टर को घर पर ही बुलाया जाता है ।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कृषि की ज्यादातर जमीन समतल है जो पाटीदार समाज के लोगो के पास है, लेंकिन जो जमीन आदिवासीयों के पास है वो अधिकतर कृषि जमीन उबड़-खाबड़ और पथरीली है । गाँव में खेती में गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना की पैदावार होती है । लेकिन यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है। फिर बाजार से या राशन की दुकान से खरीदकर लाना पड़ता है ।

गाँव में रोजगार की स्थिति ख़राब है, खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी ही मात्र गाँव में रोजगार का साधन है। गाँव में मनरेगा का काम भी बहुत कम ही मिल पाता है । मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम होती है कि परिवार की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है । नरेगा में 100 दिवस काम नहीं मिलता है और 90 से 110 रु. मजदूरी मिलती है। मनरेगा में महिलायें ज्यादा जाती है क्योंकि पुरुष बाहर जाकर कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है। बेरोजगारी और भुखमरी से बचने के लिए गाँव के युवा जिले के नजदीक के शहर या बाजार में दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं। जहाँ कडिया काम मिल जाता है । जिले के निकट के शहरों में काम नहीं मिलने से लोग गुजरात के शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रूपए दैनिक मजदूरी पर काम करके किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। गाँव के पाटीदार समाज के लोग खेती करने के साथ ही जनरल स्टोर की दुकान भी लगाते है ।

पशुपालन में लोग गाय, भैंस, बैल, बकरी इत्यादि पालते हैं लेकिन देसी नस्ल होने के कारण उनसे भी दूध मात्र बच्चों के पीने भर का ही होता है। पशुओ के लिए चारा भी बारिश में होता है, चारा बाजार से खरीदते है जो 5 - 7 रूपए प्रति पुली भाव से मिलता है ।

सिंचाई के पानी की स्थिति

नरणिया गाँव का भू-जल स्तर 200 फीट नीचे चला गया है । सिंचाई के लिए पानी बारिश के बाद तीन माह के लिए ही मिल पाता है । गर्मी में पानी की कमी हो जाती है । सिंचाई के लिए 3 तालाब है - नरणिया तालाब, आसेला तालाब और लिमडी तालाब । इन तालाबों में 2 नालों से बारिश का पानी जमा होता है । ये दोनों नाले

बारिश में ही चलते है दोनों नालों पर कुछ चेकडैम और 2 एनिकट बनाये गये है । दोनों ही एनिकट वर्तमान में अच्छी हालत में है लेकिन फिर भी इनमे गर्मी में पानी कम हो जाता है क्योंकि एनिकट के पास लोगों ने बोरवेल और कुएं खोद रखे है । जिनके पास बोरवेल और कुओं की सुविधा नहीं है उनके लिए गर्मी में पानी का संकट बढ़ जाता है । गाँव में 25 कुएं है जिसमे से 10 कुएं सालभर पानी उपलब्ध कराते है, 15 कुएं कम गहरायी के कारण सूख जाते है । गाँव में पाटीदार समाज के लोगो ने निजी बोरवेल भी खुदवाये है । बोरवेल और मोटर के जरिये पानी के अत्यधिक दोहन से सभी जल-स्रोतों में पानी मध्य ग्रीष्म ऋतु में समाप्त हो जाता है ।

रागेला गाँव की चिन्हित समस्याओं का विवरण

प्राकृतिक संसाधन

गांव में जंगल, पहाड़ और बिलानाम जमीन वन विभाग के कब्जे में है । आज से 40 - 50 साल पहले गाँव के पहाड़ो और चारागाह में जंगल काफी फैला हुआ था । पहले छोटी बड़ी सभी पहाड़ियाँ हरी-भरी थी और उनपर सागवान, गोंद, आवला, महुआ के पेड़ थे और चारा, इमारती और घर बनाने के लिए लकड़ी, ढाक के पत्ते, घास जैसी लघुवन उपज होती थी। जिसे गांव के लोग अपने उपयोग में लेते थे । लेकिन वन विभाग के कब्जे में जाने के बाद जंगल बर्बाद हो गया है, पहाड़ो में पत्थर ज्यादा है जिस कारण ज्यादातर ये सूखे ही रहते है । सागवान, महुआ के पेड़ खत्म हो गये है और पूरे जंगल में केवल बबूल के कटीले पेड़ है । जो ना गाँव के लोग जलाने के काम में ले सकते है ना अन्य किसी काम में । जंगल की जमीन भी अब बहुत कम बची है । गांव के जंगल को अपने कब्जे में लेने के लिये अभी तक सामुदायिक वन अधिकार पत्र लेने की फाइल नहीं लगायी गयी है। गाँव के पहाड़ में पत्थर मिलते है जिन्हें लोग मकान बनाने और खेतों की चारदिवारी करने के लिए ले जाते है ।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में लोग कई पीढ़ियों से घर बनाकर रह रहे है और खेती कर रहे है लेकिन लोगों को उनके कब्जे की जमीन के व्यक्तिगत पट्टे नहीं मिले है । गाँव की थोड़ी से चारागाह की जमीन पर लोगों ने अपना घर और खेत काट कर कब्ज़ा कर लिया है । गाँव में जिन लोगों के पास खातेदारी हक है वो उनके कब्जे की जमीन का बहुत ही कम हिस्से का दिया गया है । आबादी बढ़ने से भी जोत कम हो रही है ऐसे में परिवार के पालन-पोषण करने में समस्या खड़ी हो रही है । खेती की जमीन उबड़-खाबड़ और पथरीले होने के कारण खेतों को समतलीकरण की आवश्यकता है । खेतों में सिंचाई के पानी का संकट रहता है जिस कारण लोग खाने के लिए अनाज का उत्पादन पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है । गाँव के तालाब, एनिकट जल्दी ही सूख जाते है क्योंकि बांध की ऊंचाई कम होने और रिसाव के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। गाँव में पानी का स्तर 200 फुट गहराई में चला गया है । गाँव में 25 कुएं है, जिसमे से 15 सूखे ही रहते है बाकी के 10 कुओं में गर्मी के खत्म होते पानी इतना ही बचता है कि पशुओ के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती है । गाँव में 35 हैंडपंप है। जिनमें से 12 हैंडपंप आयरन होने के कारण पाइप में छेद होने से सूखे ही रहते है और ये कम गहरे है, बाकी के 23 हैंडपंपों से पूरे साल पीने का पानी मिल जाता है । लेकिन पीने के पानी में आयरन और फ्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा है जिस कारण लोगों को फ्लोरोसिस नामक गंभीर बिमारी हो रही है । गाँव में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आर.ओ. प्लांट नहीं है । गर्मी में पानी इतना गहराई में उतर जाता है कि बोरवेल में भी पानी कम हो जाता है । वर्षाजल को संरक्षित करने के विषय में गाँव के लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है न ही पंचायत और सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे रही है ।

आवागमन की समस्या

गाँव के भीतर जाने वाली चार पक्की डामरीकृत सड़के है, तीन पक्की सड़के क्षतिग्रस्त होकर ख़राब हो गयी है बारिश की वजह से कट गयी है और उनमे गड्डे हो गये है । गाँव में 9 सी.सी. सड़के है, सभी सी.सी. सड़के दो साल पहले ही तेज़ बारिश की वजह से टूट गयी और उनमे दरारें पड़ गयी है और नालियाँ टूट गयी है । जहाँ सी.सी. सड़कों की पहुँच नहीं बन पायी है वहाँ 4 कच्ची सड़क है । गाँव के मुख्य सड़क पर बस और जीप रूकती है जिसे गाँव के लोग बस स्टैंड कहते है लेकिन वहाँ कोई यात्री प्रतीक्षालय नहीं बना है यहाँ से प्राइवेट बस, ऑटो और जीप दूसरे गाँवो में जाने के लिए मिल जाते है । लेकिन गाँव के फलों में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है। रास्तों पर गर्मी में पीने के पानी के लिए कोई हैंडपंप की सुविधा नहीं है और ना ही धूप बारिश से बचने के लिए छाया का प्रबन्ध है । बारिश में सभी रास्ते कीचड़ के नाले में परिवर्तित हो जाते है जिससे लोगों को आने जाने में समस्या हो जाती है ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति

गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक माध्यमिक विद्यालय है । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गये है और कमरों की कमी, अध्यापकों की कमी और बैठने के लिए कक्षाओ में दरी-पट्टी नहीं है । अध्यापक की कमी के कारण दो कक्षाओ को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाता है । जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और गुणवत्ता में कमी है । माध्यमिक विद्यालय में भी पूरे अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी है और स्कूल में छत की मरम्मत की आवश्यकता है, खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । तीनों ही विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है । गाँव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है । गाँव के सभी बच्चे स्कूल जाते है ।

गाँव में 4 आंगनवाड़ी है, इनमे से एक मिनी आंगनवाड़ी है । मिनी आंगनवाड़ी है जो घर में चलाई जा रही है । आंगनवाड़ी की छत से पानी टपकता है, पीने के पानी, शौचालय और छोटे बच्चों के अक्षर ज्ञान के लिए पठन-सामग्री भी नहीं है । गाँव में एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है । सरकारी हॉस्पीटल गाँव से 2 किमी दूर पुनाली में है। जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा है। बड़ा हॉस्पीटल 22 किमी दूर डूंगरपुर में है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरीपालन किया जाता है । पर्याप्त मात्रा में बारिश ना होने के कारण खेतों में पशुओं के प्र्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जा सकता है। चारागाह जमीन भी कम है । जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरीद कर लाना पडता है। पर्याप्त और पौष्टिक पशु आहार के अभाव में दूधारू पशु दूध भी कम देते है । गाय 1 लीटर और भैंस ढाई लीटर ही दूध देती है । दूधारू पशु भी अच्छी नस्ल के नही है । चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरीदते है ।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

गाँव में कृषि की ज्यादातर जमीन समतल है जो पाटीदार समाज के लोगो के पास है, बाकी की कृषि जमीन उबड़-खाबड़ और पथरीली है । गाँव में खेती में गेंहू, मक्का, उडद, मूंग और चना की पैदावार होती है । गाँव के तालाब, एनिकट जल्दी ही सूख जाते है क्योंकि एनिकट की ऊंचाई कम होने और ज्यादा बोरवेल होने के कारण सालभर पानी नहीं रहता है। खेतों में सिंचाई के पानी का संकट रहता है जिस कारण लोग खाने के लिए अनाज का उत्पादन पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है । यह केवल चार या पांच माह खाने तक का ही हो पाता है।

गाँव में पाटीदार समाज के लोगो ने सिंचाई के लिए निजी बोरवेल भी खुदवाये है, वे मोटर के जरिये पानी निकाल कर फसल का उत्पादन करते है । लेकिन सभी जल-स्रोत मध्य ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते है । गर्मी में पानी का जल स्तर 200 फीट से नीचे चला जाता है और पानी की कमी हो जाती है । कृषि उपज के समाप्त होने के बाद खाद्यान्न के लिए बाजार या राशन की दुकान पर निर्भर होना मजबूरी है ।

गाँव में 2 राशन की दुकाने है लेकिन राशन की दुकान पर सरकारी आदेशानुसार जब तक घर में शौचालय नहीं बन जाता तब तक राशन नहीं दिया जाता, पॉस मशीन में फिंगरप्रिंट ना आना या इन्टरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या रहती है कई बार तो लोगो को बार बार अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ कर लाइन में लगना मज़बूरी रहती है । राशन की दुकान पर गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता है । खेती में अधिक रासायनिक खाद का उपयोग और सिचाई के पानी में ज्यादा खारापन होने के कारण जमीन कठोर हो गयी है और उत्पादन घट गया है ।

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

गाँव में रोजगार की स्थिति ख़राब है, रोजगार के नाम पर मनरेगा का काम गाँव में चलता है जिसमे महिलायें ज्यादा जाती है क्योंकि पुरुष बाहर जाकर कड़िया मजदूरी करते है या डूंगरपुर शहर में आते है । कुछ लोग गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते है, जहां वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते है। कई बार शहर में काम ना मिलने पर खाली हाथ घर जाना पड़ता है । अभी मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 100 रूपये तक ही दी जाती है। रोजगार के साधनों के अभाव के पीछे मुख्य कारण अच्छी तकनीकी शिक्षा नहीं मिलना और उन्नत खेती के प्रशिक्षण का अभाव है ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला एनिकट तालाब कुआं हैण्डपम्प बोरवेल	गाँव का भू जलस्तर 200 फीट नीचे चला गया है । 2 बरसाती नाले है जिन पर बारिश के पानी को रोकने के लिए 2 एनिकट बनाये गये है । दोनों ही एनिकट वर्तमान में अच्छी हालत में है लेकिन फिर भी इनमे गर्मी में पानी कम हो जाता है क्योंकि एनिकट के पास लोगों ने बोरवेल और कुएं खोद रखे है । गाँव में 3 तालाब है, जिसमे बारिश में नालों से पानी की आवक होती है । गाँव के 10 चालू कुएं और 23 चालू हैंडपंप है, जो चालू है उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है । चालू कुओं के पानी से सिंचाई और मवेशियों के पानी के लिये व्यवस्था की जाती है । गर्मी में बोरेवेल में भी पानी	नालों की रिन्गवाल बनाकर खेतों के बीच में पानी के लिए छोटे पक्के गड्डे बनाना ताकि सिंचाई के लिए पानी को रोका जा सके । तालाब को गहरा करवा कर रिंगवाल बनाई जाये और नये एनीकट बनाना और पुराने एनिकटो की ऊंचाई बढ़ाना ताकि ज्यादा समय तक पानी रह सके जिससे सिचाई भी पूरी हो सकती है । कुएं को गहरा करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। फ्लोराइड मुक्त पेयजल के लिए गाँव में अच्छे कुएं और हैंडपंप पर आर.ओ. प्लांट लगवाना ।

	कम हो जाता है।	
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह पहाड़ जंगल	गाँव के आदिवासी लोगों के पास छोटी पहाड़िया, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन है, बेनामी जमीन, जंगल पर सरकार और वन विभाग का अधिकार है। जंगल में विलायती बबूल के पेड़ है । गांव के जंगल को अपने कब्जे में लेने के लिये अभी तक सामुदायिक वन अधिकार पत्र लेने की फाइल नहीं लगायी गयी है।	गाँवसभा प्रस्ताव में दर्ज करवाकर केटेगरी-4 में भूमि समतलीकरण करवाकर उसे अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है । गाँव की जिस जमीन पर खेती नहीं होती है या जंगली घास है उसे साफ करके वृक्षारोपण रोपण करना, लघुवनोपज से आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जंगल को फिर से जीवित करना और लघुवन उपज लेना ।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	तीन पक्की सड़के क्षतिग्रस्त होकर ख़राब हो गयी है बारिश की वजह से कट गयी है और उनमे गड्डे हो गये है । गाँव में 9 सी.सी. सड़के है, सभी सी.सी. सड़के दो साल पहले ही तेज़ बारिश की वजह से टूट गयी और उनमे दरारें पड़ गयी है और नालियाँ टूट गयी है । जहाँ सी.सी. सड़कों की पहुँच नहीं बन पायी है वहाँ 4 कच्ची सड़क है । गाँव के मुख्य सड़क पर यात्री वाहनों के रुकने के कोई यात्री प्रतीक्षालय नहीं बना है । गाँव के फलों में केवल नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल या पैदल जाया जाता है। रास्तों पर गर्मी में पीने के पानी के लिए कोई हैंडपंप की सुविधा नहीं है और ना ही धूप बारिश से बचने के लिए छाया का प्रबन्ध है । बारिश में सभी रास्ते कीचड़ के नाले में परिवर्तित हो जाते है जिससे लोगों को आने जाने में समस्या हो जाती है । सड़कों की बदहाली का नुकसान मरीजों और गर्भवती महिलाओ को होता है ।	गाँव की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को नया बनाया जाये । गाँव के सभी कच्चे रास्ते चौड़े करके सी.सी. सड़क में बदले जाये और टूटी पक्की सड़क, सी.सी. सड़क को पुनः बनाया जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी ।
स्कूल प्राथमिक स्कूल उ. प्रा. विद्यालय	विद्यालय भवन जर्जर हो गये है और कमरों की कमी, अध्यापकों की कमी और बैठने के लिए कक्षाओ में दरी-पट्टी नहीं	स्कूलों की मरम्मत और नये कमरे बनवाना । शौचालय की भी मरम्मत करवा कर पानी की व्यवस्था करना । स्कूल में

मा. विद्यालय	है । अध्यापक की कमी के कारण दो कक्षाओ को एक साथ बैठा कर पढ़ाया जाता है । जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है । माध्यमिक विद्यालय में भी पूरे अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी है और स्कूल में छत जर्जर है, खेल के मैदान की बाउन्ड्री टूटी हुई है तथा शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है । तीनों ही विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए साफ पानी हेतु आर.ओ. नहीं लगा है । गाँव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है । पंचायत और शिक्षकों के संज्ञान में होने के बावजूद भी समस्याओ का निपटारा नहीं हो रहा है ।	बच्चों के पीने के पानी के लिए आर.ओ. प्लांट लगाया जा सकता है ताकी बीमारियों से मुक्त रहे । पूरे अध्यापक नियुक्त किये जाये ।
आंगनवाड़ी केंद्र	गाँव में 4 आंगनवाड़ी है, इनमे से एक मिनी आंगनवाड़ी है । आंगनवाड़ी की छत से पानी टपकता है, पीने के पानी, शौचालय और छोटे बच्चों के अक्षर ज्ञान के लिए पठन-सामग्री भी नहीं है ।	अलग से आंगनवाड़ी का नया भवन बनवाना । छत और फर्श की मरम्मत, शौचालय निर्माण, छोटा आर.ओ. प्लांट लगवाना । खेलने और अक्षर ज्ञान के लिए समुचित प्रबन्ध करना ।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक
1	**शिक्षा सम्बंधित समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव के सभी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है स्कूल बिल्डिंग जर्जर हो गयी है । स्कूल में खेल का मैदान और शौचालय की स्थिति सही नहीं है । पीने के शुद्ध पानी के लिए आर. ओ. नहीं लगा है । कक्षा-कक्षों की कमी है ।	गाँव सभा में प्रस्ताव लेकर अध्यापक नियुक्ति, कमरा निर्माण, शुद्ध पानी की व्यवस्था और नये शौचालय बनवाने हेतु पंचायत और शिक्षा विभाग से ज्ञापन देकर समस्या हल करना	**तात्कालिक**
2	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में भू-जल 200 फिट गहराई में चला गया है ।	जो हैंडपंप बंद हो गये है उन्हें गहरा कर चालू	**दीर्घकालिक**

			गाँव में आधे कुएं और हैंडपंप सूखे है और जो चालू है उनका पानी फ्लोराइड युक्त है। तालाब कम गहरे होने पानी का भराव कम है ऐसे में पानी कम रुकने से पशुओ के लिए भी पानी कम हो जाता है ।	करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए । गाँव में बरसात के पानी को एनिकट की ऊंचाई बढ़ाना और तालाब में ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गाँव सभा द्वारा बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है ।	
3	**कृषि संबधी समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में भूमिगत जल स्तर 200 फीट नीचे है । गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। सिंचाई के लिए 2 बरसाती नाला है । बरसात का पानी गाँव में रोकने के लिए 2 एनिकट है और 3 तालाब है जिनमे पानी पूरे साल नहीं टिकता है ।	अपना खेत-अपना काम योजना के अंतर्गत उबड़ खाबड़ खेतों को समतल करना, बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों में कच्चे चेकडैम और पक्के टांके का निर्माण। घर के आँगन में पानी को रोकने के लिए टाके (पक्के खड्डे) बनवाना ।	**तात्कालिक**
4	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव में पक्की और सी.सी. सड़के टूटी हुई है । कच्ची सड़के भी बारिश के समय कीचड़ में हो जाती है । राहगीरों को आने-जाने में समस्या रहती है ।	गाँवसभा बनने के बाद बैठकों में कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना और जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं । टूटी हुई सडको कों ठीक करवाने के लिए पंचायत में प्रस्ताव देना ।	**तात्कालिक**
5	**सरकारी योजनाओं की सहीं**	**व्यक्तिगत**	गाँव में सभी लोगो को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है । गाँव में	गाँवसभा के जागरूक सदस्यों के द्वारा लोगों का आवास निर्माण हेतु	**तात्कालिक**

	क्रियान्विति ना होना - आवास निर्माण, पेंशन संबधी समस्या		कुछ लोगो को आवास योजना की सूची में नाम नहीं जुड़ने के कारण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनके आवास तैयार है उनको पूरी राशि का भुगतान नहीं हो पाया है । गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है ।	आवेदन कराना और बकाया राशि का भुगतान कराना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	
6	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना और सामुदायिक भूमि पर अधिकार नहीं**	**सार्वजनिक**	गाँव में लोगों कों उनके कब्जे की जमीन का खातेदारी हक नहीं मिला है । वर्तमान में राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में सरकारी फरमानों से जमीन जाने का खतरा है । जानकारी के अभाव में गाँव के लोगो ने जंगल, चारागाह व बिलानाम जमीन पर दावा फाइल नहीं लगाई है ।	कब्जे की जमीन के लिए व्यक्तिगत दावा और जंगल की जमीन के लिए सामुदायिक दावा करना । कब्जे की जमीन की पैनल्टी कोर्ट में जमा करना और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	**दीर्घकालिक**

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क पक्की सड़कें	पक्की और सी.सी. सड़के टूटी हुई है । कच्ची सड़के ज्यादा नहीं है । रास्तों में गड्डे पड़ गये है और नालियाँ टूट गयी है जिस कारण	रास्ते अच्छे होने से बीमार लोगों को आसानी से समय रहते इलाज मिल सकता है । लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव के लोग समस्या को लेकर दबाव नहीं बनाते है कि यह कार्य सरकार व पंचायत का है । गाँव सभा कमेटी का मजबूती से काम

	गंदगी सड़क पर फैल जाती है ।		नहीं करना ।
जल नाला तालाब एनिकट कुआं बोरवेल हैंड पंप	एनिकटो के बांध की ऊंचाई कम होने से पानी की ग्रहण क्षमता भी कम है । तालाब भी जल्दी ही सूख जाते है कम गहराई होने से जल भराव क्षमता कम है । गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है । कुओं को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं करना । जल संरक्षण के बारे में गाँव वालों में जागरूकता न होना ।	कच्चे-पक्के चेकडेम के माध्यम से तालाब और एनिकट में पानी को रोकना,तालाब गहरीकरण और एनिकट के बांध की ऊंचाई बढ़ाना और नये एनिकट बनाना । बारिश का पानी रोकने हेतु पक्की टंकी का निर्माण करवाना, जिसे शुद्ध करके अशुद्ध पीने के पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है । भू-जल का सही तरीके से संरक्षित उपयोग करना ताकी जल स्तर एकदम से नीचे न जाये ।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्य योजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
रोजगार के साधन	रोजगार के लिए गाँव के लोग खेती या नरेगा पर निर्भर है । सिंचाई और अच्छी खाद-बीज के अभाव में कृषि उत्पादन में कमी । अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव । अच्छी कृषि तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिलना ।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उन्नतशील बीज का अभाव । जमीन के बेहतर प्रबंधन की कमी।
जमीन	सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन के पट्टे ना होना ।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

- **नजरिया नक्शा**

- **गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -**

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन के सम्बन्ध में	
वृद्धा पेंशन	47
एकलनारी पेंशन	4
विधवा पेंशन	4
विकलांग पेंशन	9
पालनहार 1-5 वर्ष(5), 6-8 वर्ष(7)	12
पी.एम., सी.एम. आवास योजना नए निर्माण	47
बकाया क़िस्त भुगतान	3

शौचालय निर्माण एवं बकाया भुगतान के सम्बन्ध में	9
स्कूल के सम्बन्ध में अध्यापक नियुक्ति विद्यालयों का पुनर्निमार्ण आर. ओ. प्लांट लगाना शौचालय निर्माण	 3 विद्यालय उ.प्रा. और मा.वि. रा.मा.वि.
आंगनवाड़ी भवन निर्माण शौचालय निर्माण कानेला फला आंगनवाड़ी में	3 1
राशन की दुकान निर्माण के सम्बन्ध में	1
तालाब गहरीकरण के सम्बन्ध में	5
सार्वजनिक कुआं गहरीकरण के सम्बन्ध में	4
सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध में	3
सड़क निर्माण कच्ची सड़क निर्माण सी.सी. सड़क निर्माण	 2 2
हैंडपंप के सम्बन्ध में नए हैंडपंप हैंडपंप मरम्मत	 21 7
एनिकट मरम्मत व ऊंचाई के सम्बन्ध में	2
नहर मरम्मत	1
शमशान घाट निर्माण (स्नानघर, टिन-शेड, चबूतरा)	2
<u>केटेगरी 4 के कार्य</u> खेत समतलीकरण, मेड़बंदी, रिंगवाल, कुआं गहरीकरण और मरम्मत एवं पशुवाडा निर्माण	 27
वृक्षारोपण के सम्बन्ध में	
गाँवसभा के द्वारा आपसी विवाद निपटारा	
सामाजिक बुराईयों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में	

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

सेवार्मे,

श्रीमान सरपंच महोदय
ग्राम पंचायत रागेला

विषय: गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन [illegible] पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

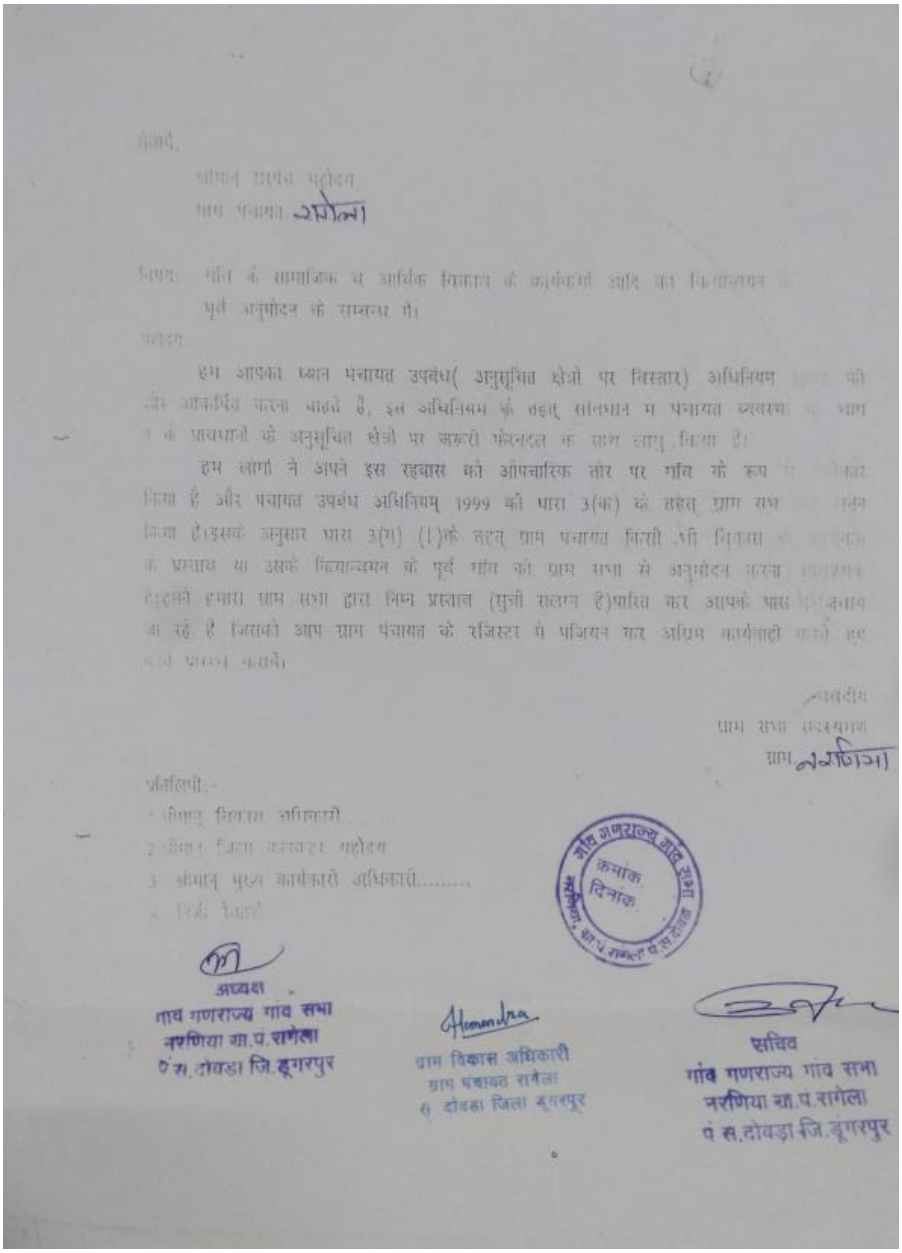

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम [illegible] की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान में पंचायत व्यवस्था [illegible] भाग [illegible] के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप [illegible] किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा [illegible] किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास [illegible] के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना [illegible] है।इसी हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है)पारित कर आपके पास [illegible] जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही [illegible] कार्य प्रारंभ कराये।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम नरणिया

प्रतिलिपि:-
1 श्रीमान् विकास अधिकारी........
2 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3 श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........
4 [illegible]

क्रमांक
दिनांक

अध्यक्ष
गाव गणराज्य गांव सभा
नरणिया ग्रा.प.रागेला
पं.स.दोवडा जि.डूगरपुर

Hemendra
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रागेला
पं. दोवडा जिला डूंगरपुर

सचिव
गांव गणराज्य गांव सभा
नरणिया ग्रा.प.रागेला
पं.स.दोवडा जि.डूगरपुर

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार अधिनियम 1999, नियम २011 के अंतर्गत आज दिनांक 26/7/18 को नयागांव गांव की गांव सभा दबेर माता मंदिर के पास आयोजित कि गई। गांव सभा बैठक में उपस्थित गांव वासियों ने पूर्व सरपंच जीवन लाल डोडी अध्यक्ष चुना और उनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए और उसका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा :-

(1) पेंशन के सम्बन्ध में – वृद्धा पेंशन.
(2) PM/CM आवास के सम्बन्ध में
(3) शौचालय के सम्बन्ध में
(4) स्कूल के सम्बन्ध में –
(5) आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में –
(6) राशन दुकान के सम्बन्ध में .
(7) तालाब को गहरा करना और मरम्मत
(8) सार्वजनिक कुआ को गहरा करना
(9) सामुदायिक भवन के सम्बन्ध में
(10) रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में
(11) नए हैंडपम्प लगाना और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में
(12) एनिकट निर्माण / मरम्मत के सम्बन्ध में
(13) केटेगरी A के अंतर्गत कार्य खेत समतलीकरण / पशुबाड़ा निर्माण कुआ गहरीकरण / मेडबंदी.
(14) वृक्षारोपण के सम्बन्ध में
(15) सामाजिक विवाद गांव सभा में निपटाने के सम्बन्ध में
(16) सामाजिक कुरितियों पर गांव सभा के द्वारा रोक के सम्बन्ध
(17) श्मशान घाट के सम्बन्ध में
(18) नहर/नाली मरम्मत के सम्बंध में.

क्रमांक
दिनांक

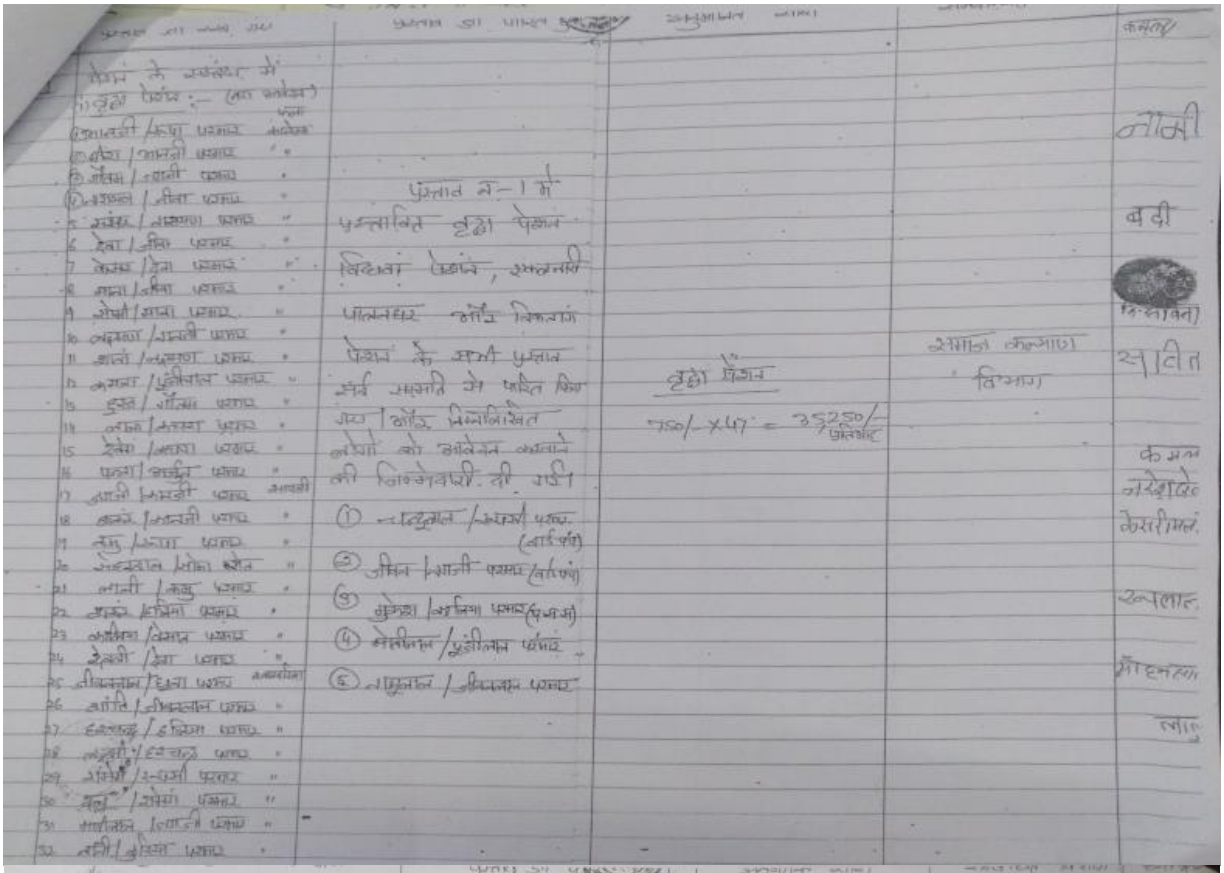

पेंशन के सम्बन्ध में
(i) वृद्धा पेंशन :-

प्रस्ताव नं-1 में प्रस्तावित वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकलनारी पालनहार और विकलांग पेंशन के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किए गए। और निम्नलिखित लोगों को आवेदन करवाने की जिम्मेवारी दी गई

(1) नन्दुलाल / [illegible] प्रमार (वार्ड पंच)
(2) जीवन / नानजी प्रमार (वार्ड पंच)
(3) मुकेश / [illegible] प्रमार (प्र.भा.स.)
(4) मोतीलाल / पुंजीलाल पंचार
(5) नाथूलाल / जीवनलाल प्रमार

वृद्धा पेंशन
750/- x 47 = 35250/- प्रतिमाह

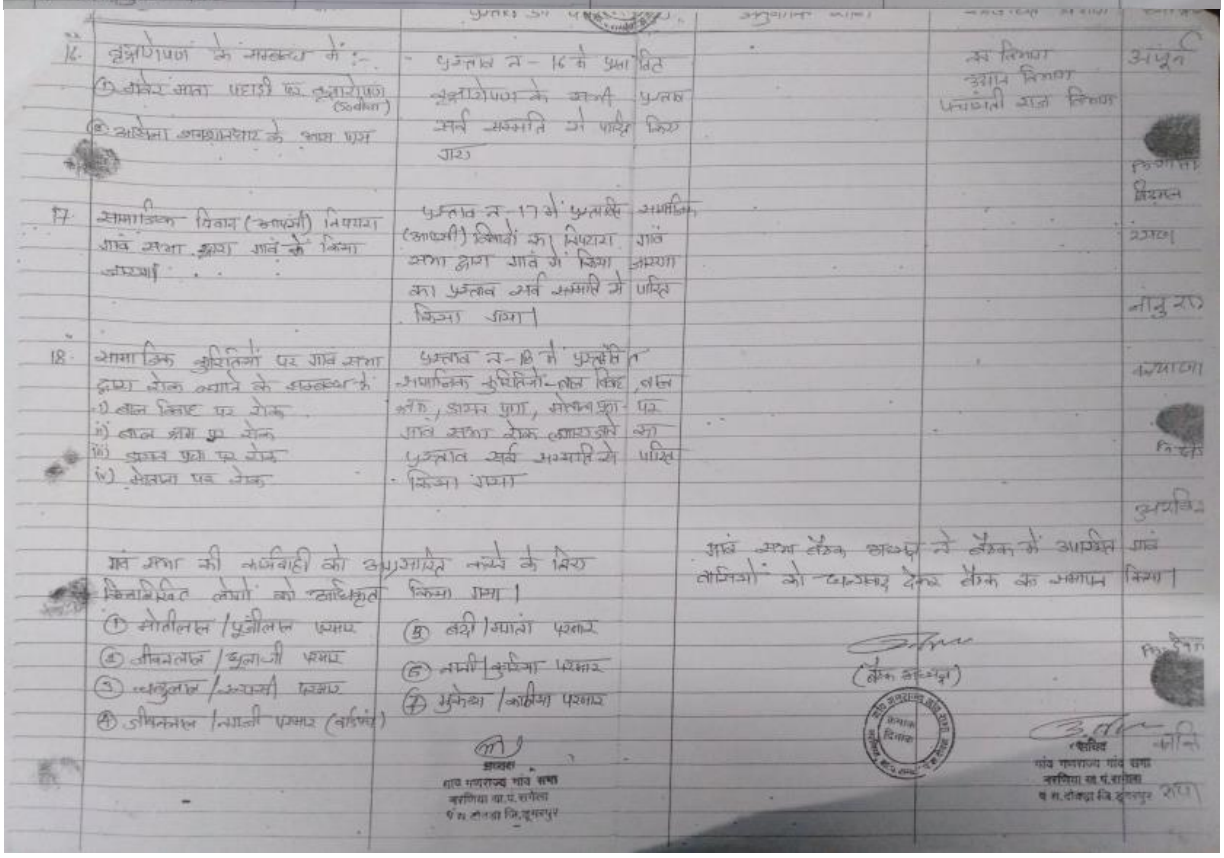

समाज कल्याण विभाग

16. वृक्षारोपण के सम्बन्ध में :-
(1) [illegible] माता पहाड़ी पर वृक्षारोपण (50 पौधे)
(2) [illegible] के साथ ग्राम

प्रस्ताव नं - 16 के प्रस्तावित वृक्षारोपण के सभी प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किए गए

17. सामाजिक विवाद (आपसी) निपटारा गांव सभा द्वारा गांव में किया जाएगा।

प्रस्ताव नं - 17 में प्रस्तावित सामाजिक (आपसी) विवादों का निपटारा गांव सभा द्वारा गांव में किया जाएगा का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।

18. सामाजिक कुरीतियों पर गांव सभा द्वारा रोक लगाने के सम्बन्ध में
i) बाल विवाह पर रोक
ii) बाल श्रम पर रोक
iii) डायन प्रथा पर रोक
iv) [illegible] पर रोक

प्रस्ताव नं - 18 में प्रस्तावित सामाजिक कुरीतियों - बाल विवाह, बाल श्रम, डायन प्रथा, [illegible] प्रथा पर गांव सभा रोक लगाएगी का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया

गांव सभा की कार्यवाही को अनुमोदित करने के लिए निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया।
(1) मोतीलाल / पुंजीलाल प्रमार
(2) जीवनलाल / [illegible] प्रमार
(3) नन्दुलाल / [illegible] प्रमार
(4) जीवनलाल / नानजी प्रमार (वार्ड पंच)
(5) [illegible] प्रमार
(6) [illegible] प्रमार
(7) मुकेश / [illegible] प्रमार

गांव सभा बैठक अध्यक्ष ने बैठक में आमंत्रित ग्रामीणों को धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया।

(बैठक अध्यक्ष)

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1.	मोतीलाल परमार	7073859765
2.	जीवनलाल परमार	9929397299
3.	कांतिलाल	7742836582
4.	रूपलाल ननोमा	8107514255
5.	कमला देवी यादव	7073859765